



भारत सरकार, खान मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो , क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर
INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR
फोन- 2282530-0771 2285590/ / 95, ईमेल - ro.raipur@ibm.gov.in

फाइल संख्या - CHG/RNG/Fe-2

खान कोड 30CHG15002

दिनांक 28/06/2022

प्रेषिति- श्री विनोद पिल्लई, मनोनीत मालिक
बोरिया टिबू लौह अयस्क खदान
मेसर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड।
प्लॉट नंबर- 482/2, फेस-1, सिलतारा, रायपुर,
छत्तीसगढ़- 4082709

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले मे स्थित आपकी बोरिया टिबू लौह अयस्क खदान, 110 हे.
मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-
महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 04/06/2022 को अधोहस्तक्षरी द्वारा श्री गंगाराम वर्मा, खान एजेंट की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11(1)	The following deviations are observed against the proposal in the approved Review of Mining Plan vide letter no. राजनांदगांव/लौह /खयो-1232/2019-रायपुर dated 19.03.2020 for the period from 2020-21 to 2024-25: i) In 2020-21 and 2021-22, 08 and 12 nos. of bore hole were proposed respectively. However it has been observed that proposed bore holes have not been drilled. ii) Total 0.325 million tonnes production was proposed in 2020-21 but it is observed that no production was carried out in 2020-21. iii) OB/waste dumping was proposed on dump WD1. However it is observed during inspection that dumping is carried without approved proposal and dump WD1 is extended in south eastern side beyond the approved proposal. iv) In 2021-22 and 2022-23 working was proposed upto 490RL however it is observed during inspection that working depth has been reached upto 481RL. v) The bench parameters i.e. height and width are not maintained as per proposals. It is observed that at some places the height of the benches are more than 8m and width is maintained less than the bench height.
14(2)	The mineral or ore stock above the limit specified in the threshold values of minerals or otherwise, shall be properly maintained indicating the quantity and quality of all such material stacked, and the month-wise inventory of such materials shall be updated. However it is observed that different types ore ores i.e Magnetite, Hematite and BMQ as furnished in approved review of mining plan have not been updated at mine site in terms of their quantity and quality and registered also not maintained.

2. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
3. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2)) के अंतर्गत खान की सारी खनन संक्रियाएँ बंद की जा सकती हैं।
4. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(दयानन्द उपाध्याय)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 -
Email-com.cz@ibm.gov.in
2. संचालक भौमिकी एवम खनिकर्म, छत्तिसगढ़ इंद्रावती भवन द्वितीय तल डी ब्लोक, केपिटल कोम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तिसगढ़- Email dgm.cg@gov.in

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो